निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 41/2022 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये श्री राहुल भावरिया प्रतर्वन निरीक्षक, सांभर ।

प्रार्थी

बनाम

श्री कमलेश कुमावत पुत्र श्री गोपाल लाल मारवालों की ढाणी, ग्राम आसलपुर, तहसील फुलेरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 28 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 195.94 किलोग्राम को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 06.12.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश कमांक 2379 दिनांक 22.11.2022 की पालना में गठित जांच दल को घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैद्य भण्डारण व खरीद फरोक्त की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रूबरू मौतबिरान के दिनांक 22.11.2022 को श्री कमलेश कुमावत पुत्र श्री गोपाल लाल मारवालों की ढाणी, ग्राम आसलपुर, तहसील फुलेरा स्थित मकान की अप्रार्थी श्री कमलेश कुमावत की उपस्थिति में जांच की गई। मकान के आगे स्थित स्टोर रूम में 05 खाली व 01 भरा हुआ घरेलू गैस सिलेण्डर मिले तथा मकान के पिछले हिस्से में स्थित तहखाने जहां चारा इकट्ठा किया जाता है, वहा 08 खाली एवं 14 भरे हुये घरेलू गैस सिलेण्डर मिले, जिनमें से बीपीसीएल के 11 भरे हुये एव 6 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गये तथा 04 एचपीसीएल के भरे हुये घरेलू गैस लिसेण्डर एवं 07 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी कमलेश कुमावत के द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया । इस प्रकार मौके पर कुल 28 घरेलू गैस सिलेण्उर 14.2 किलोग्राम क्षमता के पाये गये, जिनमें 15 भरे हुये एवं बीपीसीएल के 11 व एचपीसीएल के 04 एवं 13 खाली, 6 बीपीसीएल एवं 07 खाली पाये गये। इस प्रकार मौके पर श्री कमलेश कुमावत द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य कारोबार एवं अवैद्य भण्डारण किया जाना पाये जाने पर मौके से प्राप्त 28 घरेलू गैस सिलेण्डरों का तौल श्री दिनेश शर्मा कार्यकर्ता मैसर्स अन्नपूर्णा भारत गैस ऐजेन्सी नरैना से करवाया गया। तौल कराने पर उक्त 28 घरेलू

जिला कलक्टर
जयपुर

गैस सिलेण्डरों में 195.40 किलोग्राम गैस पाई गई। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त 28 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 195.40 कि.ग्रा. को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 29.11.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मकान के आगे स्थित स्टोर रूम में 05 खाली व 01 भरा हुआ घरेलू गैस सिलेण्डर मिले तथा मकान के पिछले हिस्से में स्थित तहखाने जहां चारा इकट्ठा किया जाता है, वहा 08 खाली एवं 14 भरे हुये घरेलू गैस सिलेण्डर मिले, जिनमें से बीपीसीएल के 11 भरे हुये एव 6 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गये तथा 04 एचपीसीएल के भरे हुये घरेलू गैस लिसेण्डर एवं 07 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी कमलेश कुमावत के द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया । इस प्रकार मौके पर कुल 28 घरेलू गैस सिलेण्उर 14.2 किलोग्राम क्षमता के पाये गये, जिनमें 15 भरे हुये एवं बीपीसीएल के 11 व एचपीसीएल के 04 एवं 13 खाली, 6 बीपीसीएल एवं 07 खाली पाये गये। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयति बखूबी सिद्व होती है। अतः उक्त जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जबत घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के घर पर दिनांक 28.11.2022 एवं 4.12.2022 को शादी का कार्यकम था जिसमें मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए आस–पडौस एवं भाई बन्धुओं से घेरलू गैस सिलेण्डर ले कर एकत्रित किये गये थे। सभी सिलेण्डर कनेक्शन शुदा है। उपभोक्ताओं के शपथ पत्र संलग्न है। अप्रार्थी द्वारा कालाबाजारी के उद्वेश्य से सिलेण्डर

जिला कलक्टर
जयपुर

एकत्रित नहीं किये गये। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 22.11.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अप्रार्थी ने जब्त किये गये घरेलू गैस सिलेण्डर्स घर मे दिनांक 28.11.2022 व दिनांक 04.12.2022 को शादी होने से शादी में आने वाले मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए उपयोग में लिये जाने हेतु एकत्रित किया जाना बताया है। समर्थन में शादी का कार्ड व उपभोक्ताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। दौराने जांच मौके पर कुल 28 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 195.94 किलोग्राम एलपीजी के मिले है। एलपीजी विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आती है। कोई भी व्यक्ति एक समय में 100 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के भण्डारित नहीं रख सकता। सौ किलो से ज्यादा विस्फोटक का भण्डारण करने के लिए विरफोटक अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जबकि अप्रार्थी के पास ऐसी कोई स्वीकृति अथवा अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया है। सौ किलोग्राम तक एलपीजी के सिलेण्डर्स व खाली सिलेण्डर्स रिलीज करते हुये 100 किलो से अधिक एलपीजी के सिलेण्डरों को मय एलपीजी के राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को 100 किलोग्राम एलपीजी की मात्रा के 7 सिलेण्डर भरे हुये व 13 सिलेण्डर खाली लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष 08 सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर